

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2263
सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवा

2263. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवाओं को मेक-इन-इंडिया और कौशल भारत कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसको क्या कारण है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ख): निवेश को सुगम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे में श्रेष्ठ श्रेणी का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई थी। यह भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और वैश्विक मंच पर इसकी औद्योगिक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए अद्वितीय 'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक है। देश में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश किया जा रहा है। अब, 27 क्षेत्रों को शामिल करते हुए "मेक इन इंडिया 2.0" चरण के साथ, कार्यक्रम महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक विनिर्माण परिदृश्य में एक प्रमुख भागीदार के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एस.आई.एम.) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.), जन शिक्षा संस्थान (जे.एस.एस.), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एन.ए.पी.एस.) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सी.टी.एस.) के तहत, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के माध्यम से, समाज के सभी वर्गों को प्रशिक्षित कर रहा है। उक्त कौशल विकास योजनाओं के तहत प्रशिक्षित एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. सहित उम्मीदवारों की संख्या 2019-20 से 2022-23 के दौरान लगभग 1.60 करोड़ है।
